न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—163 / 2011 / 223(2011 / 00028)

1. भंवर बेग पुत्र आजमबेग (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1 / 1— श्रीमती छोटी पत्नि भंवर बेग,
   1 / 2— सद्दीक पु भंवर बेग,
   1 / 3— सद्धीका पत्नी जामिल पुत्री भंवर बेग,
   1 / 4— समीना पुत्री भंवर बेग,
   1 / 5— सलीम पुत्र भंवर बेग नाबा0 जरिये माता छोटी,
   1 / 6— रूखसाना पुत्री भंवर बेग नाबा0 जरिये माता छोटी,
2. जम्बू बेग पुत्र अनवर बेग,
3. मुस्ताक बेग पुत्र कमरू बेग,
4. सफीक बेग पुत्र मोजा बेग,
5. सलीम बेग पुत्र रूस्तम बेग **(फौत)**
6. बाबर बेग पुत्र रूस्तम बेग,
7. फिरोज बेग पुत्र गफूर बेग,
8. सुभान बेग पुत्र मुंशी बेग,
9. हैदर बेग पुत्र बाबू बेग (फौत)
   9 / 1— सायबी बेगम पत्नी स्व0 हैदर बेग,
   9 / 2— मुस्ताक बेग पुत्र स्व0 हैदर बेग,
   9 / 3— इस्लाम बेग पुत्र स्व0 हैदर बेग,
   9 / 4— सलीम बेग पुत्र स्व0 हैदर बेग,
   9 / 5— सद्धीक बेग पुत्र स्व0 हैदर बेग,
   9 / 6— सुल्तान बेग पुत्र स्व0 हैदर बेग,
   समस्त जाति मुसलमान, नि0 ग्राम जिलावड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. हासम पुत्र स्व0 पीरू बेग,
2. श्रीमती हसीना पत्नी स्व0 कासम (नाम तर्क)
   समस्त जाति मुसलमान, नि0 ग्राम जिलावड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 11.5.2011 अंतर्गत वाद संख्या 56 / 2009.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—19.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नंबर 188/5324 रकबा 2.12 किस्म बारानी—3 वादीगण की खातेदारी की आराजी है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर जबरन पत्थर डालने पर आमादा है व वादीगण को बेदखल करना चाहते है । अतः वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2011 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु कुल पांच तनकियात कायम की थी । अपीलांटस/प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के समर्थन में प्रदर्श 1 से 12 दस्तावेज पेश किये व कयूम बेग, भंवर बेग, रियाज बेग, फिरोज बेग के मौखिक बयान करयो थे तथा दस्तावेज प्रदर्श 1 से 12 में चौसाला जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि सरकारी अंकन है तथा मौके पर प्रवितादीगण के 8—9 बाडे बने हुए है जो स्वंय वादी ने अपनी साक्ष्य जिरह में स्वीकार किया है । प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर मकान व बाड़े होने के संबंध में गवाह पेश किये थे । वादी ने वाद कब्जे में दखल के लिये स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जो कतई साबित नहीं था । अधी0न्याया0 ने इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि बिना कब्जे के वादीगण किसी भी प्रकार कर अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार नहीं थे । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस/प्रतिवादीगण के द्वारा निवेदन किया गया था कि प्रार्थी ने पूर्व दिनांक 7.5.2007 को भी निषेधाज्ञा का वाद समान पक्षकार समान विषयवस्तु का प्रस्तुत किया था तथा साथ में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत की जो क्रमशः वाद संख्या 86/07 एवं 49/2007 दर्ज किया गया जो प्रार्थीगण का निरस्त किया किन्तु उक्त तथ्यों को छिपाते हुए पुनः वादग्रस्त भूमि का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो धारा 11 जा0दी0 के तहत खारिज होने योग्य है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अपीलांटस की और से अधी0न्याया0 के समक्ष यह तथ्य भी उजागर किया गया था कि वादग्रस्त भूमि चौसाला जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 में साबिक खसरा नंबर 365 कुल रकबा 56—11—10 के नवीन खसरा नंबर 240 रकबा 25 बीघा बने जो भूमि सिवायचक थी तथा वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 240 के रकबा 25 बीघा भूमि में वादी ने कब्जे का झूंठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, मौके पर रकबा 10—10—00 के हाल

खसरा नंबर 188/5324 बने है में प्रतिवादीगण के बाड़ा व निवास स्थान की जगह बनी तथा शेष भूमि 14–10–00 आज भी सरकारी है किन्तु उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण/अपीलांटस का कब्जा वर्षो से चला आ रहा है तथा अपीलांटस के बाड़े बने हुए है जिसमें जानवर बंधते है तथा निवास के काम में आ रहा है । वादी/रेस्पो0 ने गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2011 को निरस्त यिका जावे ।

5. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । आधार जमाबंदी के खाता नंबर नया 992 पुराना 895 के खसरा नंबर 188/5324 रकबा 2.12 है0 के आधार जमाबंदी अनुसार खातेदार हासम, कासम पि0 पीरू बेग जाति मुसलमान दर्ज है । उपरोक्त विवादित आराजियात से अपीलांटस का हक व अधिकार नहीं है । अपीलांट प्रभावशाली व्यक्ति है जो वादीगण की वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने पर उतारू होने से रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया था । खातेदार काश्तकार की आराजी में अन्य व्यक्ति द्वारा दखलदांजी किये जाने पर खातेदार स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हकदार है । विवादित आराजी वादीगण की क्रयशुदा आराजी है जिस पर वे काबिज काश्त चले आ रहे है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में तहसील, नसीराबाद द्वारा मौके पर सीमाज्ञान भी करवाया गया था जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । अपीलांटस केवल मात्र रेस्पो0 जो कि गरीब एवं बेसहारा असहाय है का फायदा उठाने की नियत से मौके पर वादीगण को बदेखल करने पर आमादा है । रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा रहा हो इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है तथा यह भी कथन किया कि तथाकथित पटवारी रिपोर्ट दौराने वाद बिना न्यायालय के आदेश के एवं बिना पक्षकारान की मौजूदगी के एकतरफा मिलीभगत कर प्रस्तुत की गई है जिसे अधी0न्याया0 द्वारा भी विश्वसनीय नहीं होने से साक्ष्य में स्वीकार नहीं की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का कथन रहा है कि अपीलाधीन भूमि रेस्पो0 को गलत आवंटन की है तथा अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटस के कांटे डालकर बाड़े बने हुए है । अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत वादी का वाद डिक्री किया है जो विधिविरूद्ध है परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन भूमि रेस्पो0/वादीगण की खातेदारी की भूमि वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है । वर्तमान जमाबंदी के इंद्राज को निरस्त कराने बाबत् कोई चाराजोही की हो इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है । अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटस कब्जा हो इस संबंध में कोई भी अभिलेख अथवा साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा किसी भी साक्ष्य का गलत विवेचन किया हो अथवा अधिकारिता का दुरूपयोग किया हो ऐसा सिद्ध करने में अपीलांट विफल रहा है । रेस्पोडेंटस अपीलाधीन भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा अपने विधिक अधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 9 के वारिसान ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र

अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं सपठित धारा 5 परिसीमा अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस संख्या 9 हैदर बेग का स्वर्गवास होने उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट संख्या 9 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट 9 के वारिसान ने आवेदन पत्र दिनांक 5.6.2018 को पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी पर रेस्पो0 संख्या हासम पुत्र पीरू बेग के वारिसान बाबू बेग ही काबिज है और खातेदार दर्ज है तथा अपील नहीं चलाना चाहते है अतः अपील निरस्त की जावे । उक्त प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि अपीलांटस का विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है। अपीलांट को रेस्पोडेंटस के खातेदारी अधिकारों में दखल करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2011 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 19.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर